मध्यप्रदेश शासन

आबकारी विभाग

जिला–भिण्ड

भांग की फुटकर बिक्री के लायसेंसों के
नीलामी का विक्रय घोष ज्ञापन

वर्ष 2010–2011

मध्यप्रदेश शासन

<u>कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी,</u>
<u>जिला–भिण्ड (म.प्र.)</u>

भांग की फुटकर बिक्री की दुकानों के नीलाम की व्यवस्था

वर्ष 2010–2011

<u>नीलाम की मुख्य शर्तें/निर्बन्धन</u>

सर्वसाधारण की जानकारी एवं भांग की फुटकर बिक्री की दुकानों के ठेकेदारों की विशेष जानकारी के लिए राज्य शासन के आदेशानुसार यह सूचना प्रकाशित/घोषित की जाती है कि भिण्ड जिले में वर्ष 2010–11 अर्थात 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2011 तक की अवधि के लिए भांग दुकान भिण्ड का कलेक्ट्रोरेट समाकक्ष में दिनांक 06.03.2010 दिन शनिवार को प्रातः 10:30 बजें बोली के माध्यम से नीलाम की जावेगी । जो व्यक्ति भांग की फुटकर बिक्री की दुकान के नीलाम में भाग लेना चाहें । वे नियत नीलाम तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर नियमानुसार बोली दे सकते है। संबंधित नियमों, भांग की खपत ड्यूटी की दर आदि की जानकारी जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय जिला भिण्ड से अवकाश के दिनों सहित किसी भी दिन कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है। नीलाम की शर्तें एवं निर्बधंन नीलाम के समय, नीलाम स्थल पर पढ़कर सुनायें जावेगें । नीलाम की कार्यवाही किसी कारण वश दिनांक 06.03.2010 दिन भानिवार को पूरी नहीं होती है, तो भिण्ड जिले के कलेक्टर द्वारा अन्य घोषित किसी भी दिन व समय पर की जा सकेगी। विक्रय ज्ञापन की प्रति आवेदक को रूपयें 500/– की राि ा नगद जमा करने पर उपलब्ध कराई जावेगी ।

<u>नोट :–</u> नीलाम से तात्पर्य केवल बोली के माध्यम से लायसेंसों के निराकरण की प्रक्रिया सें है।

1- **<u>नीलाम स्थल में प्रवे”ा एवं प्रवे”ा के लिए भाुल्क :–</u>** नीलाम स्थल में बोली देने के लिए वे ही व्यक्ति प्रवे ा कर सकेंगें, जो नीलाम में भाग लेने के पात्र होगें तथा जिन बोलीदारों द्वारा इस संबंध में विहित भार्तों का पालन कर लिया गया हो, नीलाम स्थल पर बोली देने के प्रयोजन से प्रवे ा करने वाले ऐसे व्यक्ति को रूपयें 500/– (पांच सौ रूपये) प्रवे ा भाुल्क कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जिला भिण्ड में जमा करना होगा, जिसकी उसे विधिवत एम.पी.टी.सी.–6 रसीद दी जावेगी। उसे दो क्रमांकित प्रवे ा पत्र दिये जावेंगें। एक उसके स्वयं के उपयोग के लिय तथा एक

उसके सहयोगी के लिये। बोली देने वाले व्यक्ति को, दिये जाने वाले क्रमांकित लाल प्रवे ा–पत्र पर नीलाम का वर्ष, बोलीदार का नाम तथा जमा प्रवेश शुल्क का विवरण अंकित होगा । सहयोगी को दिये जाने वाले क्रमांकित सफेद प्रवे ा पत्र पर नीलाम का वर्ष, सहयोगी का नाम अंकित होगा । प्रवे ा पत्र पर जिला आबकारी अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामांकित एवं अधिकृत अधीनस्थ आबकारी अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील अंकित होगी। प्रत्येक व्यक्ति प्रवे ा पत्र को अपने सीने में बांई ओर लगायेगा तथा नीलाम स्थल में उपस्थित रहने तक, उसे भलीभांति लगाए रखेगा ।

2- **<u>व्यक्ति जो नीलाम में भाग लेने से वर्जित होंगें :–</u>** नीलाम में ऐसे व्यक्ति बोली लगा सकेंगें, जो भांग की फुटकर बिक्री की दुकानों का लायसेंस प्राप्त करने की योग्यता रखतें हों । निम्नांकित व्यक्ति नीलाम में बोली लगाने के लिय अयोग्य रहेगें :–

2.1 कोई भी व्यक्ति जो 21 वर्ष से कम आयु का हों ।

2.2 कोई भी व्यक्ति, जो स्वतः अथवा जमानतदार की हैसियत से शासन की आबकारी राजस्व की रा‍ि ा, पॉपीस्ट्रा राजस्व की रा‍ि ा तथा/अथवा मनोरंजन शुल्क की किसी प्रकार की रा‍ि ा का बकायादार हो, भांग की फुटकर बिक्री की दुकानों का वर्ष 2009–10 की अवधि का लायसेंसी, जिसके द्वारा उसके लायसेंस की वर्ष 2009–10 की देय सम्पूर्ण लायसेंस फीस न पटाई गई हों ।

2.3 कोई भी व्यक्ति जो पहले भांग की फुटकर बिक्री की दुकानों का लायसेंसी रहा हो और लायसेंसी की हैसियत से उसका आचरण, नीलाम करने वाले अधिकारी, कलेक्टर के मत में संतोशजनक न रहा हो ।

2.4 कोई भी व्यक्ति, जिसका नाम विभाग की काली सूची में हो ।

2.5 कोई भी व्यक्ति, जिसके बारे में नीलामकर्ता अधिकारी, कलेक्टर को यह विश्वास हो कि वह, बुरे आचरण बाला है।

2.6 कोई भी व्यक्ति जो मध्यप्रदे ा आबकारी अधिनियम 1915 (1915 का क्रमांक 2) या राजस्व संबंधी तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन इंडियन मर्केन्डाइज मार्क्स अधिनियम, 1889 (1889 का क्रमांक 4) या इस अधिनियम की धारा 3 द्वारा भारतीय दण्ड संहिता (1860 का क्रमांक 45) में पुनः स्थापित की गई धाराओं 478 से 489 के अधीन या मेडिसिनल एण्ड टॉयलेट प्रिपरे ान (एक्साईज ड्यूटी) अधिनियम 1955 अथवा नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज अधिनियम 1985 तथा/अथवा इन अधिनियमों के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के गंभीर उल्लंघन करने का दोशी रहा हों और ऐसे अपराधों के लिए किसी दांडिक न्यायालय द्वारा दोश सिद्ध ठहराया गया हों ।

टिप्पणी :– (1) बकाया की रा ि ा की पूर्ण अदायगी का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित शर्त, नीलामकर्ता अधिकारी द्वारा शिथिल की जा सकेगी ।

(2) काली सूची में से नाम विलोपित किये जाने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर कंडिका 2.4 में उल्लेखित शर्त, नीलामकर्ता अधिकारी द्वारा शिथिल की जा सकेगी ।

3- **सहमति करार–पत्र प्रस्तुत किया जाना :–** प्रत्येक बोलीदार को निम्नलिखित प्रारूप में सहमति करार–पत्र पर इस आशय की सहमति के हस्ताक्षर करना होंगें कि वह नीलामी की प्रक्रिया में नीलाम की शर्तों और निर्बन्धनों को स्वेच्छा से स्वीकार करता है। तद्नुसार राश्ट्रीयकृत / अनुसूचित / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की भााखा का नाम एवं स्थान, उसमें संधारित बचत बैंक खाते का क्रमांक, स्वयं का पता तथा स्थायी आयकर लेखा क्रमांक (PAN) की जानकारी अंकित कर, किसी राश्ट्रीयकृत / अनुसूचित / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के भााखा प्रबंधक / आयकर अधिकारी द्वारा प्रमाणित फोटो सहित, सहमति करार में हस्ताक्षर कर, नीलाम के पूर्व जिला आबकारी अधिकारी, जिला भिण्ड को प्रस्तुत करेगा।

भांग, भांग घोटा एंव भांग मिठाई / ताड़ी की फुटकर बिक्री दुकानों के लायसेंसों के नीलाम में बोली देने के पूर्व, बोली की शर्तो को मान्य करने का सहमति करार

जिला आबकारी अधिकारी / राष्ट्रीयकृत बैंक का शाखा प्रबंधक / आयकर अधिकारी के द्वारा प्रमाणित छायाचित्र एंव प्रमाणित हस्ताक्षर

मैं...(बोलीदार का नाम)

पिता / पति का नाम ....

निवासी...

पूरा पता ....

धन्धे का स्थान ....आयु....................(वर्ष)........................

शपथ पूर्वक घोषित करता / करती हूँ, कि

1. मेरे राष्ट्रीयकृत / अनुसूचित / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के खाते का क्रमांक .... व बैंक का नाम तथा पता .... है।
2. बोलीदार का स्वयं का / फर्म / कंपनी अथवा उसके कोई भागीदार / भागीदारों / डायरेक्टर / डायरेक्टरो) का स्थाई आयकर दाता लेखा (पैन) क्रमांक ....) है
3. मैंने भांग, भांग घोटा एंव भांग मिठाई तथा ताड़ी की फुटकर बिक्री की दुकानों के लायसेंसो के वर्ष 2010–11 के लिए नीलाम की शर्ते पढ़–सुन तथा जान ली हैं । तथा अन्यथा समझ ली है। और मैं, नीलाम की शर्ते प्रतिग्रहित करता / करती हूँ ।
4. मैने अर्नेस्टमनी जमा का पूर्ण विवरण संलग्न कर दिया है।
5. मैं अपनी बोली से विचलित होने की दशा में, अपने द्वारा निक्षेप किये गये अर्नेस्टमनी / अग्रिम धन / प्रतिभूति की राशि के समर्पहरण के लिए करार करता / करती हूँ तथा स्वंय को आबद्व करता / करती हूँ, कि पुनः नीलाम की कार्यवाही किए जाने की स्थिति में, शासन को खिसारे के रूप में हुई हानि की प्रतिपूर्ति की रकम, मुझसे भू–राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।

दिनांक .... **हस्ताक्षर ....**

<u>टीप : –</u>

1- प्रत्येक भांग, भांग घोटा एंव भांग मिठाई/ताड़ी की फुटकर बिक्री की दुकानों के लायसेंस/ लायसेंसों के समूहों के बोलीदार (व्यक्ति/फर्म/कंपनी) द्वारा अपना बैंक खाता क्र. एंव स्थायी आयकरदाता लेंखा क्र. (PAN) उसके द्वारा प्रस्तुत सहमति करार पत्र में अंकित करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त सहमति करार भरकर हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

2. बोलीदार यदि पंजीकृत फर्म/कंपनी है, तो उसके कार्यकारी भागीदार/मैनेजिंग डायरेक्टर अथवा अधिकृत डायरेक्टर को उपरोक्तानुसार सहमति करार की पूर्ति कर हस्ताक्षर करना होगे।

श्री/श्रीमती .... को उपरोक्त भांग, भांग घोटा, भांग मिठाई तथा ताड़ी लायसेंस/लायसेंसों के समूहों के उल्लेखित नीलाम में उनके द्वारा प्रस्तुत एवं हस्ताक्षरित उक्त सहमति करार के आधार पर, सम्मिलित होने की अनुमति दी जाती है/अनुमति दी गयी है।

हस्ताक्षर नीलामकर्ता अधिकारी दिनांक सहित
जिला भिण्ड (म. प्र.)

4- **<u>नोटराइज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना :–</u>** प्रत्येक भांग की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के लायसेंस के बोलीदार (व्यक्ति/फर्म/कम्पनी) द्वारा निम्नांकित प्रारूप में नोटराइज्ड शपथ–पत्र प्रस्तुत करना भी अनिवार्य होगा ।

<u>//शपथ पत्र//</u>

मैं स्वयं (नाम) ....(पिता/पति का नाम) ....

निवासी (पता) ....

शपथपूर्वक सत्यनिष्ठा से कथन करता/करती हूँ कि : –

1. मैं स्वयं (फर्म/कंपनी का नाम) .... की ओर से अधिकार पत्र ग्रहिता हूँ,।
2. मैं, स्वयं अथवा फर्म/कंपनी की दशा में सभी भागीदार/संचालक भांग, भांग घ ाोटा एंव भांग मिठाई/ताड़ी की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के लायसेंस के वर्ष 2010–11 के लिये उल्लेखित नीलाम में बोली देने हेतु अपात्र नही है।
3. मेरे द्वारा सहमति करार पत्र वांछित सहपत्रो सहित प्रस्तुत कर दिया गया है। उसमें दी गयी जानकारी पूर्णतः सत्य एवं पूर्ण है।
4. मेरे द्वारा नीलाम हेतु निर्धारित अर्नेस्टमनी की राशि कुल रुपये ....निम्न विवरण अनुसार जमा कर दिये गये है : –

(1) नगद राशि रुपये ....

(2) बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक का कैश आर्डर रुपये ....

योग रुपये ....

5. यह कि मैंने बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक के कैश आर्डर का पूर्ण विवरण प्रस्तुत कर दिया है।

6. यह कि, भांग, भांग घोटा एंव भांग मिठाई/ताड़ी की फुटकर बिक्री की दुकान /दुकानों का नीलाम मेरे (फर्म/कंपनी की दशा में सभी भागीदार/संचालक) नाम से स्वीकृत होने की दशा में 1/6 भाग अग्रिम राशि तथा 1/12 भाग की प्रतिभूति राशि निर्दिष्ट समय में जमा करने के लिये आवद्ध रहूंगा/रहूंगी ।

7. यह कि भांग, भांग घोटा एंव भांग मिठाई/ताड़ी की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के लायसेंस के नीलाम में बोली देने के लिये मेरे द्वारा नीलामकर्ता अधिकारी को प्रस्तुत सहमति करार पत्र में उल्लेखित समस्त तथ्य एवं विवरण सत्य एंव पूर्ण है। उक्त उल्लेखित किसी तथ्य/विवरण/बिन्दु के असत्य अथवा अपूर्ण पाये जाने पर नीलामकर्ता अधिकारी कलेक्टर को बोली/ऑफर तथा लायसेंस निरस्त करने तथा मेरे द्वारा जमा कराये गये अर्नेस्टमनी/ अग्रिम धन/प्रतिभूति की राशि को जप्त/राजसात करने का अधिकार होगा तथा इसके संबंध में मुझे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही होगी।

स्थान...................................... हस्ताक्षर..................................

दिनांक..................................

सत्यापन लेख

मैं, (नाम) .... (पिता/पति का नाम) श्री .... शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ, कि इस शपथपत्र के चरण (1) से चरण (7) तक में वर्णित जानकारी मेरे निजी ज्ञान से सत्य एंव सही है। इसमें कोई बात छिपाई नही गई है।

स्थान...................................... हस्ताक्षर..................................

दिनांक..................................

5- **बोलीदार की पहचान एवं उसके निवास के पते के प्रमाणीकरण के संबंध में :—**

प्रत्येक भांग की फुटकर बिक्री की दुकानों के इच्छुक बोलीदार को, उसकी व्यक्तिगत पहचान एवं उसके निवासी स्थान के पते के प्रमाणीकरण के संबंध में, निम्न दस्तावेज संलग्न प्रस्तुत करना होगें :—

5.1 व्यक्ति की व्यक्तिगत पहचान हेतु निम्न दस्तावेज मान्य होंगे:—

1. वैध पासपोर्ट।
2. वैध स्थायी आयकर लेखा क्रमांक।
3. निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत वैध मतदाता पहचान पत्र (EPIC CARD)।

4. वैध ड्रायविंग लायसेंस।

5. फोटोयुक्त राश्ट्रीयकृत/अनुसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की लेखा पुस्तिका की मूल/प्रमाणित प्रति।

5.2 निवास स्थान के पते के प्रमाणीकरण हेतु निम्न दस्तावेज मान्य होंगे :-

1. अधिकतम तीन माह पुराना टेलीफोन/मोबाइल फोन बिल
2. अधिकतम तीन माह पुराना बिजली भुगतान का बिल
3. अधिकतम तीन माह पुरानी एलपीजी गैस कनेक्शन रसीद
4. अधिकतम तीन माह पुराना पानी का बिल
5. किसी वित्तीय संस्थान द्वारा जारी फोटो क्रेडिट कार्ड
6. स्त्रोत पर आयकर कटौती का अद्यतन जारी फार्म 16 में प्रमाण पत्र
7. राश्ट्रीयकृत/अनुसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बैंक लेखा पुस्तिका की मूल/प्रमाणित प्रति।

6. **यदि कोई बोलीदार किसी पंजीकृत फर्म या कम्पनी की ओर से बोली लगाना चाहता है तो बोली लगाने के पूर्व उसे निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करना होंगें :-**

(I) संबंधित फर्म/कम्पनी का पंजीयन प्रमाण-पत्र/निगमन प्रमाण-पत्र अथवा उसकी विधिवत् अभिप्रमाणित प्रतिलिपि ।

(II) फर्म की पार्टनरशि ाप डीड/कम्पनी के मेमोरेण्डम एवं आर्टीकल्स ऑफ एसोसिए ान की मूल या प्रमाणित प्रतिलिपि ।

(III) फर्म की द ाा में रजिस्ट्रार फर्म एण्ड सोसायटी द्वारा जारी फर्म के रजिस्टर की नकल (एब्सटैक्ट) तथा कम्पनी की द ाा में संचालक मण्डल की रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज द्वारा प्रमाणित सूची ।

(IV) संबंधित फर्म/कम्पनी के संचालक मण्डल की ओर से नीलाम में भाग लेने के आ ाय के resolution के साथ बोलीदार के पक्ष में निश्पादित/जारी अधिकार-पत्र की मूल अथवा अभिप्रमाणित प्रति ।

7- **आरक्षित मूल्य :-** वर्ष 2010-11 के लिए भांग की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के लायसेंस के नीलाम हेतु संबंधित दुकान/दुकानों के समूह की वर्श 2009-10 की वार्शिक लायसेंस फीस में, 10 प्रति ात बृद्धि कर वर्ष 2010-11 के लिये आरक्षित मूल्य घोशित किया जायेगा । **(वर्ष 2009-10 में एक से अधिक बार नीलामी की स्थिति में, आनुपातिक रूप से परिगणना करने पर, जो सर्वाधिक मूल्य आयेगा, उसके अनुसार ही वर्श 2009-10 की वार्शिक लायसेंस फीस की गणना की जायेगी)**

8- **अर्नेस्टमनी जमा करना :-** प्रत्येक बोलीदार को बोली लगाने के पूर्व, भांग दुकान भिण्ड की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के लायसेंस के लिए वर्ष 2010-11 के लिये घोशित आरक्षित मूल्य के 10% के बराबर अर्नेस्टमनी नगद अथवा

जिला आब. अधिकारी, जिला भिण्ड के पक्ष में, किसी राश्ट्रीयकृत/अनुसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थानीय शाखा पर देय बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक अथवा बैंक के कै ा आर्डर के रूप में जमा करनी होगी। प्राप्त अर्नेस्टमनी की विधिवत पुश्टि/संतुश्टि, कलेक्टर द्वारा कर लेने के उपरान्त ही बोली ली जावेगी। इस प्रकार जमा की गयी अर्नेस्टमनी के विरूद्ध बोलीदार 12 गुना रा ि की सीमा तक, भांग दुकान भिण्ड कि फुटकर बिक्री की दुकान के लायसेंस हेतु बोली दे सकेंगें। सफल बोलीदार द्वारा अर्नेस्टमनी की जमा की गयी रा ि, कंडिका क्र. 10 में उल्लेखित अग्रिम धन/प्रतिभूति रा ि के विरूद्ध वांछित सीमा तक समायोजित की जावेगी तथा अव ोश रा ि वापिस की जावेगी। असफल बोलीदार को जमा अर्नेस्टमनी की पूरी रा ि वापिस की जायेगी। असफल बोलीदार को जमा अर्नेस्टमनी की रा ि वापिस प्राप्त करने के लिए रेवेन्यू स्टाम्प लगाकर पावती देना होगी।

9- **नीलामी की प्रक्रिया :–** वर्श 2010–11 के लिये भांग की फुटकर बिक्री की दुकान के लायसेंस के नीलाम में, बोली के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :–

9.1 नीलाम की कार्यवाही, संबंधित नीलाम स्थल पर नीलाम की भार्तों के वाचन के साथ निर्धारित दिनांक एवं समय पर प्रारंभ की जायेगी ।

9.2 नीलाम की भार्तों के वाचन के पश्चात् वर्श 2010–11 के लिये भांग की फुटकर बिक्री की दुकान का नीलाम बोली आमंत्रित कर किया जायेगा । जिससे अधिकाधिक राजस्व प्राप्त हो सकें ।

9.3 नीलामकर्ता अधिकारी, कलेक्टर को यह अधिकार होगा कि अगर प्राप्त उच्चतम बोली भांग की फुटकर बिक्री की दुकान के लायसेंस के निर्धारित आरक्षित मूल्य के बराबर या उससे अधिक है, तो उसे उचित समझने पर वे नीलाम अंतिम कर सकेगें । आरक्षित मूल्य से कम रा ि की प्राप्त बोली की स्वीकृति आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदे ा से प्राप्त करना अनिवार्य होगा । आबकारी आयुक्त से निर्दे ा प्राप्त नहीं हो सकने की स्थिति में नीलाम की यह कार्यवाही उसी स्टेटस पर आगामी दिवस के लिये स्थगित रहेगी । इसके साथ ही बची हुई भांग के फुटकर बिक्री की दुकान के लायसेंस की नीलामी हेतु, आगामी तिथि की घोशणा, कलेक्टर द्वाारा नीलाम स्थल पर ही की जायेगी ।

5.5 नीलाम की प्रक्रिया पूर्ण होने के प चात् किसी भी बोलीदार अथवा अन्य व्यक्ति का कोई भी मौखिक अथवा लिखित प्रस्ताव स ार्त अथवा बिना भार्त पुनः नीलाम के प्रावधानों को छोड़कर, न तो अभिलेखों में लिया जावेगा और न ही उस पर कोई विचार किया जावेगा ।

नोट :– नीलामकर्ता अधिकारी से तात्पर्य संबंधित जिले के कलेक्टर से है।

10. अग्रिम धन/प्रतिभूति/अतिरिक्त प्रतिभूति जमा करना :–

10.1 भांग की फुटकर बिक्री की दुकान के लायसेंस के वर्ष 2010–11 के प्रत्येक सफल बोलीदार को अपनी उच्चतम बोली का 1/6 भाग अग्रिम धन तत्काल जमा करना

होगा। जमा की जाने वाली इस राि ा के विरूद्ध बोलीदार के द्वारा बोली देने के पूर्व, जमा की गई अर्नेस्टमनी की राि ा अथवा जितनी आवश्यक है, उस सीमा तक समायोजित की जा सकेगी । भोश अग्रिम धन की राि ा नगद अथवा जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में जारी किसी राश्ट्रीयकृत/अनूसूचित/ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थानीय भााखा पर देय बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैंक/बैंक के कै ा आर्डर के रूप में नीलाम के प चात् तुरन्त जमा करना होगी ।

10ण्2 भांग की फुटकर बिक्री की दुकान के लायसेंस के वर्श 2010–11 के सफल बोलीदार के अनुरोध पर, कलेक्टर सफल बोलीदार को, अग्रिम धन राि ा का भोश भाग जो अर्नेस्ट मनी के समायोजन उपरान्त देय होगा, जो जमा करने के लिए, तीन दिवस का समय दे सकेंगें । तीन दिन की गणना करने में नीलामी की कार्यवाही का दिन एवं सार्वजनिक अवका ा के दिन छोड़ दिये जायेंगें ।

10.3 भांग की फुटकर बिक्री की दुकान के लायसेंस हेतु सफल बोलीदार को अपनी बोली की 1/12 भाग की प्रतिभूति राि ा नगद अथवा जिला आबकारी अधिकरी, जिला भिण्ड के पक्ष में किसी भी राश्ट्रीयकृत/अनुसूचति/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थानीय भााखा द्वारा जारी बैंक गारंटी अथवा स्थानीय भााखा पर देय बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक के कै ा आर्डर के रूप में नीलाम के 3 दिन के भीतर जमा करनी होगी । तीन दिन की गणना करने में नीलामी की कार्यवाही का दिन एवं सार्वजनिक अवका ा का दिन छोड़ दिये जायेंगें। वर्श 2010–11 के लिये प्रस्तुत की जाने वाली, वांछित राि ा की बैंक गारंटी, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित किये गये प्रारूप में एवं रूपयें 250/– मूल्य के नॉन ज्यूडीि ायल स्टाम्प पेपर पर तैयार कराकर प्रस्तुत की जायेगी ।

10ण्4 अगर कोई सफल बोलीदार मध्यप्रदे ा राज्य के बाहर की बैंक गारंटी प्रस्तुत करता है, तो उसे मध्यप्रदेश के भिण्ड जिले अथवा जिले के संभागीय मुख्यालय पर स्थित, उसी बैंक की भााखा द्वारा सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण कराकर प्रस्तुत करना होगी ।

10ण्5 सफल बोलीदार द्वारा नीलाम की भार्तों का पालन न करने, 1/6 अग्रिम धन राि ा या 1/12 भाग प्रतिभूति राि ा जमा करने में बिलम्ब के कारण, यदि उसे लायसेंस बिलम्ब से प्राप्त होता है, तो उसे इस अवधि की लायसेंस फीस में किसी तरह की छूट की पात्रता नहीं होगी । 1/6 अग्रिम धन एवं 1/12 प्रतिभूति की राि ा जमा न करने की द ाा में सफल बोलीदार द्वारा जमा अर्नेस्टमनी अथवा जमा की गयी अन्य कोई भी राि ा राजसात की जा सकेगी और उसके उत्तरदायित्व पर लायसेंसों का पुनः नीलाम किया जायेगा । इस पुनः नीलामी के फलस्वरूप शासन को खिसारे के रूप में हुई हानि की बसूली, संबंधित बोलीदार से भू–राजस्व की बकाया की भांति की जायेगी ।

10ण्6 भांग की फुटकर बिक्री की दुकान के लायसेंस के वर्ष 2010–11 के लिए जमा 1/6 भाग अग्रिम राि ा, माह फरवरी एवं मार्च 2011 की लायसेंस फीस के विरूद्ध समायोजित की जावेगी ।

10०7 प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत की गयी 1/12 भाग की बैंक गारंटी वैधता अवधि दिनांक 30.06.2011 तक की होगी । कोई भी बैंक गारंटी अथवा सावधि जमा इससे अल्प अथवा आंि ाक वैधता अवधि की स्वीकार्य नहीं होगी ।

10.8 भांग की फुटकर बिक्री की दुकान के लायसेंस के लिए प्रतिभूति के रूप में ली जाने वाली 1/12 भाग की राि ा/बैंक गारंटी को लायसेंस भार्तों के उल्लंघन आदि के विरूद्ध जमानत के रूप में रख जावेगा। दि. 30.06.2011 तक अथवा इसके पूर्व 1/12 भाग की राि ा/बैंक गारंटी कलेक्टर द्वारा सुनवाई का अवसर दिये जाने उपरान्त, यदि शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में कोई शास्ति/संधान राि ा अधिरोपित की गयी हो तो, ऐसी राि ा अथवा अन्य बकाया राि ा की बसूली/समायोजन के उपरान्त, वापिस की जा सकेगी।

10०9 अर्नेस्टमनी/अग्रिम जमा/प्रतिभूति के रूप में किसी भी प्रकार की जमा राि ा के वैध होने का उत्तरदायित्व बोलीदार का होगा । यदि कोई सफल बोलीदार जमा की गई अग्रिम जमा/प्रतिभूति की राि ा के स्वरूप में कोई परिवर्तन चाहता है अर्थात् नगद राि ा, बैंक ड्राफ्ट/बैकर्स चैंक/बैंक के कैश आर्डर के स्थान पर बैंक गारंटी अथवा बैंक गारंटी के स्थान पर नगद/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैंक/बैंक के कैश आर्डर को प्रतिस्थापित करना चाहता है, तो जिला आबकारी अधिकारी ऐसा करने के लिए सक्षम होंगें। परन्तु ऐसा प्रतिस्थापन अनुमत करने के पूर्व यह सुनिि चत् किया जावेगा कि प्रत्येक समय सफल बोलीदार की निर्धारित प्रतिभूति की राि ा विभाग के पास निरन्तर जमा रहें ।

10०10 बोलीदार द्वारा जमा की जाने वाली कोई भी राि ा चैक द्वारा नहीं ली जावेगी ।

11- **<u>खिसारे की बसूली/अग्रिम धन/प्रतिभूति की राि"ा को राजसात करना :-</u>**

भांग की फुटकर बिक्री की दुकान के लायसेंस का, उच्चतम बोलीदार यदि बोली की पुश्टि तक अपनी लगाई गई बोली पर स्थिर नहीं रहेगा अथवा बोली वापिस लेगा या किसी प्रकार से भार्तों का उल्लंघन करेगा तो, ऐसे लायसेंस को पुनः नीलाम करने पर जो खिसारा आयेगा अर्थात् भाासन को जो हानि होगी, वह संबंधित उच्चतम बोलीदार से भू-राजस्व की बकाया की भांति बसूल की जायेगी । उपरोक्त हेतु एवं इसके अतिरिक्त किसी भी समय, नीलाम की शर्तों के उल्लंघन पर, उसके द्वारा जमा की गई अर्नेस्टमनी अथवा यदि अर्नेस्टमनी का समायोजन कण्डिका क्रमांक 10 के अनुरूप, जमा किए जाने वाले अग्रिम धन (1/6) अथवा प्रतिभूति राि ा (1/12) के विरूद्ध किया गया है, तो इस प्रकार समायोजित अर्नेस्टमनी को भी, उसको सुनवाई का अवसर देने के प चात् कलेक्टर द्वारा राजसात किया जा सकेगा । बोलीदार द्वारा नगद अथवा बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक अथवा कै ा आर्डर के रूप में जमा की गई, अन्य कोई राि ा भी खिसारे की बसूली के पेटे समायोजित की जायेगी । इस संबंध में कलेक्टर का निर्णय अन्तिम होगा ।

12. <u>पुनः नीलाम :–</u>

12ण1 पुनः नीलाम के लिये वह व्यक्ति ही आवेदन–पत्र प्रस्तुत कर सकता है जो, भांग की फुटकर बिक्री की दुकान के लायसेंस के वर्श 2010–11 के नीलाम के समय उस दुकान जिसका वह पुनः नीलाम चाहता है, के नीलाम में उपस्थित रहा हो तथा जो नीलाम में भाग लेने के लिये अपात्र न रहा हो और कलेक्टर द्वारा जिस लायसेंस के दुकान की बोली अन्तिम की गयी हो, ऐसे लायसेंस के दुकान के लिये उसके द्वारा बोली दी गयी हो।

12ण2 नीलाम किये गये भांग की फुटकर बिक्री की दुकान के लायसेंस के पुनः नीलाम के लिये आवेदन–पत्र नीलाम तिथि के तीन दिन के अन्दर संबंधित जिला कलेक्टर को प्रस्तुत किये जायेगें । तीन दिन की गणना करने में नीलामी की कार्यवाही का दिन एवं सार्वजनिक अवका ा के दिन छोड़ दिये जायेंगें । आवेदक को पुनः नीलाम के आवेदन के साथ भांग की फुटकर बिक्री की दुकान के लायसेंस जिसका वह पुनः नीलाम चाहता है में, प्राप्त उच्चतम बोली के 1/3 भांग के बराबर रा ि ा (आवेदक द्वारा जमा अर्नेस्टमनी की रा ि ा को कम करके, बाकी रा ि ा) नगद अथवा जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में, किसी भी राश्ट्रीयकृत/अनुसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थानीय भााखा पर देय बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक के कै ा आर्डर के रूप में जमा करनी होगी ।

12ण3 पुनः नीलाम के आवेदन–पत्र पर तभी विचार किया जायेगा जबकि, आवेदक नीलामी की प्रक्रिया में प्राप्त उच्चतम बोली से, कम से कम 10 प्रति ात अधिक की बोली देना चाहता हो । पुनः नीलाम की तिथि की विज्ञप्ति कलेक्टर द्वारा जारी की जायेगी । यदि कलेक्टर नीलाम स्थल में पुनः नीलाम की घोशणा करते है तो, कम से कम 05 दिन बाद की तिथि घोशित करेंगे ।

12ण4 पुनः नीलाम होने की द ाा में यदि आवेदनकर्ता पुनः नीलामी में सम्मिलित होकर बोली नहीं लगाता है तो, उसके द्वारा जमा की गयी 1/3 भाग की रा ि ा राजसात हो जायेगी। उसे आवेदन–पत्र में यह स्पश्ट रूप से उल्लेखित करना होगा कि वह इस भार्त को स्वीकार करता है कि, पुनः नीलाम होने की द ाा में वह प्रस्तावित बोली से कम की बोली नहीं लगायेगा और ऐसी बोली लगाने में असफल रहेगा तो, उसके द्वारा जमा की गई रा ि ा राजसात हो जायेगी ।

12ण5 भांग की फुटकर बिक्री की दुकान के लायसेंस के पुनः नीलाम के प्रस्ताव का आवेदन–पत्र केवल एक ही बार मान्य किया जायेगा ।

12ण6 भांग की फुटकर बिक्री की दुकान के लायसेंस का पुनः नीलाम होने पर भी उसके प्रथम नीलाम के समय, जिस बोलीदार द्वारा उच्चतम बोली दी गयी हो, वह 15 दिन तक, अपनी उस बोली पर कायम रहने के लिये बाध्य होगा ।

12ण7 पुनः नीलाम की इस कार्यवाही में, प्रत्येक पात्र व्यक्ति/फर्म/कम्पनी भाग ले सकेंगें ।

13- **<u>वर्ष 2010–11 की अवधि में नीलाम की भार्तों का प्रभाव"ीील रहना :–</u>** भांग की फुटकर बिक्री की दुकान के नीलाम की ये सभी भार्तें वर्ष 2010–11 के लिए तथा वर्श के दौरान होने वाले पुनः नीलाम की कार्यवाही के संबंध में प्रभाव ीील रहेगी ।

14. <u>वार्शिक लायसेंस फीस जमा करना :–</u>

14ण1 भांग की फुटकर बिक्री की दुकान के लायसेंसी को प्रत्येक भांग की फुटकर बिक्री की दुकान की देय वार्षिक लायसेंस फीस की मासिक अं ाका, जिला कोशालय अथवा संबंधित उप कोशालय में प्रत्येक माह के प्रथम कार्य दिवस को अथवा उसके पूर्व अग्रिम जमा करना होगी । यदि वार्शिक लायसेंस फीस 12 से पूर्ण विभाजित न हो तो, भागफल की अव ोश रा ा, माह अप्रैल 2010 की लायसेंस फीस में समायोजित की जायेगी ।

14ण2 भांग की फुटकर बिक्री की दुकान के लायसेंस के सफल बोलीदार को 31 मार्च 2010 या उसके पूर्व माह अप्रैल 2010 की लायसेंस फीस की देय कि त, अग्रिम जमा करना अनिवार्य होगा । उक्त कि त जमा होने पर ही, उसे लायसेंस जारी किया जावेगा ।

14ण3 भांग की फुटकर बिक्री की दुकान के लायसेंसी द्वारा देय मासिक लायसेंस फीस, उपरोक्त शर्त क्रमांक 14.1 के अनुसार माह के प्रथम कार्य दिवस को अथवा उसके पूर्व जमा नहीं की जाती है, तो कलेक्टर द्वारा भांग की फुटकर बिक्री की दुकान को भांग का प्रदाय निशेधित किया जा सकेगा । संबंधित माह की देय लायसेंस फीस उसी माह के अंतिम कार्य दिवस तक अव ोश रहने की द ा में ऐसी भांग की फुटकर बिक्री की दुकान का लायसेंस निरस्त कर पुनः नीलाम करने की कार्यवाही संबंधित लायसेंसी के उत्तरदायित्व पर की जायेगी । इस पुनः नीलामी के फलस्वरूप भाासन को खिसारे के रूप में हुई समस्त हानि की बसूली, संबंधित लायसेंसी से भू–राजस्व की बकाया की भांति की जायेगी ।

<u>नोट :–</u> सफल बोलीदार का आशय ऐसे बोलीदार से है, जिसकी उच्चतम बोली नीलामी के समय अंतिम की गई हों ।

15- **<u>लायसेंस/लायसेंसों का हस्तान्तरण :–</u>** वर्श 2010–11 में भांग की फुटकर बिक्री की दुकान के लायसेंस की अवधि के दौरान, यदि लायसेंस का हस्तांतरण स्वीकृत किया जाना आव यक पाया जायेगा तो लायसेंस की भोश अवधि की लायसेंस फीस आदि का भुगतान करने के लिए एवं लायसेंस की भार्तो का पालन करने के लिए मूल लायसेंसी (अंतरणकर्ता) तथा वह व्यक्ति जिसके नाम लायसेंस का हस्तांतरण किया जायेगा (अंतरणग्रहिता) दोनो ही बाध्य रहेगें ।

16- **<u>नीलाम की कार्यवाही में न लगाई गई बोली स्वीकार न करना :–</u>** वर्ष 2010–11 के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की बोली, जिसने भांग की फुटकर बिक्री की दुकान के नीलाम के समय अथवा पुनः नीलाम यदि हुआ हो तो पुनः नीलाम के समय बोली न दी हो, विचार योग्य नहीं होगी ।

17- **<u>वर्श 2010–11 के लिए नीलाम की कार्यवाही पूर्ण करना :–</u>** वर्श 2010–11 के लिये नीलाम किये गये भांग की फुटकर बिक्री की दुकान के लायसेंस की बोली, अंतिम होने के प चात् यदि संबंधित बोलीदार द्वारा भार्तों का पालन न किये जाने के कारण अथवा कलेक्टर/आबकारी आयुक्त के आदे ाानुसार भांग की फुटकर बिक्री की दुकान के लायसेंस का नीलाम फिर से किया जाना आदेि ात किया गया हो और उसके लिए, यदि नीलाम के दौरान ही पुनः नीलाम की तिथि की घोशणा न कर दी गई हो तो, पुनः नीलाम की सूचना पुनः नीलाम के दिन से कम से कम 5 दिन पूर्व जारी की जायेगी । तथा उसके लिए भार्त क्रमांक 18 का पालन किया जायेगा, पुनः नीलाम की तिथि कलेक्टर द्वारा निर्धारित की जायेगी । इसी प्रकार यदि भांग की फुटकर बिक्री की दुकान के लायसेंस के किसी समूह का, किसी भी कारण से नियत तिथि को नीलाम सम्पन्न/अंतिम नहीं होता है तो, उसके नीलाम हेतु कलेक्टर आगामी तिथि नियत करेंगें। जिसकी घोशणा पण्डाल में ही की जा सकती है।

18- **<u>वर्श 2010–11 की अवधि में पुनः नीलाम करना :–</u>** वर्श 2010–11 के लिए अथवा वर्श के मध्य में भांग की फुटकर बिक्री की दुकान के लायसेंस का पुनः नीलाम करने की स्थिति उत्पन्न होने पर, लायसेंसी को सुनवाई का अवसर दिये जाने के प चात् कलेक्टर द्वारा कभी भी पुनः नीलाम किया जा सकेगा, पुनः नीलाम हेतु सूचना–पत्र, पुन : नीलाम के प्रस्तावित दिनांक से कम से कम पांच दिन पूर्व जारी किया जायेगा ।

19- **<u>प्रतिरूप करार प्रस्तुत किया जाना :–</u>** वर्श 2010–11 के लिए नीलाम किये गये भांग की फुटकर बिक्री की दुकान के लायसेंस के बोलीदार को समस्त वांछित औपचारिकताओं की पूर्ति के साथ निर्धारित प्रारूप में प्रतिरूप करार भी निश्पादित करना होगा । प्रतिरूप करार निश्पादन के उपरान्त ही उसे संबंधित दुकान का लायसेंस जारी किया जायेगा ।

20- **<u>भांग की ड्यूटी दरें, :–</u>** वर्श 2010–11 में भांग, भांगघोटा, भांग मिठाई की नीलाम की गयी दुकानों तथा उपरोक्त से भिन्न उपयोग हेतु अर्थात् भांग मिलाकर बनायी जाने वाली औशधियों के लिए भांग की ड्यूटी दर निम्नानुसार रहेगी ।

क्र.	**विवरण**	**ड्यूटी दर**
1	2	3
1	भांग, भांगघोटा, भांग मिठाई की नीलाम की गई दुकानों के लिए भाण्डागार से प्रदाय लेने पर	रूपयें 85/– (रूपयें पिच्यासी) प्रति किलो ग्राम
2	उपरोक्त से भिन्न उपयोग हेतु अर्थात् भांग मिलाकर बनाई जाने वाली औशधियों के लिए भाण्डागार से प्रदाय लेने पर	रूपयें 250/– (रूपयें दो सौ पचास) प्रति किलो ग्राम

21. <u>भांग, भांगघोटा एवं भांग मिठाई दुकानों की व्यवस्था :–</u>

21.1 भांग की फुटकर बिक्री की दुकान के लायसेंसी को देय ड्यूटी के अग्रिम भुगतान के विरूद्ध भाण्डागार से प्रदाय की गयी भांग की सीलबन्द थैलियों से ही भांग का विक्रय करना होगा एक थैली की भांग समाप्त होने पर ही दूसरी थैली की सील खोली जावेगी।

21.2 भांग की फुटकर बिक्री की दुकान के लायसेंसी को सामान्य भार्त 13 एवं एच.डी.–7 लायसेंस की भार्त 3(डी) के अनुपालन में 100, 50, 20, 10, 5, 2 एवं 1 ग्राम के बांट तथा तराजू दुकान में रखना होगा, भांग की बिक्री हेतु उन्हें ही उपयोग करना होगा। यह बांट एवं ताराजू नाप तौल विभाग से विद्यमान वर्श के लिए प्रमाणित होना चाहिए ।

21.3 भांग के फुटकर विक्रय लायसेंसी को भांग का विक्रय सीधे क्रेता को विधिवत् तौलकर करना होगा । पुड़िया अथवा पैकिट में पूर्व से ही पैक कर रखी हुई भांग का विक्रय नहीं किया जायेगा ।

21.4 जिले के भांग ठेकेदार को, पिसी भांग की गोली वेचने की जो सुधिधा वर्तमान वर्श 2009–10 में प्रचलित है। वह सुविधा वर्श 2010–11 के लिए भी यथावत् रहेगी अर्थात् भांग ठेकेदारों को प्रपत्र एच.डी.–8 में लायसेंस प्राप्त करना होगा । जिसकी लायसेंसी फीस रूपया 3/– दैनिक होगी । ठेकेदार को इस हेतु आवेदन पत्र जिला आबकारी अधिकारी जिला भिण्ड को प्रस्तुत करना होगा । जिससे उन्हें प्रपत्र एच.डी.–8 में लायसेंस देने पर विचार किया जा सकें । ठेकेदार को रूपया 3/– प्रतिदिन की दर से देय समेकित लायसेंस फीस अग्रिम जमा करानी होगी । जो संबंधित दुकान की वार्शिक लायसेंस फीस में समायोजन योग्य नहीं होगी ।

22. भार्त क्रमांक 17 एवं 18 के अधीन पुनः नीलाम की तिथि की घोशणा यदि नीलाम के दिन नीलाम स्थल पर ही, उस दिन की कार्यवाही पूर्ण होने के पूर्व नहीं की जाती है, तो ऐसे पुनः नीलाम की सूचना जिसकी अवधि कम से कम पांच दिन की होगी । समाचार पत्र में प्रकाि ात की जायेगी और सूचना पत्र का प्रद र्ान जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी किया जाएगा ।

23. आबकारी आयुक्त मध्यप्रदे ा किसी भांग की फुटकर बिक्री की दुकान के लायसेंस की बोली के अन्तिम किये जाने के उपरान्त भी नीलाम संबंधी भार्तों का उल्लंघन पाये जाने पर अथवा/तथा राजस्व के हित में विहित भार्तों के अध्यधीन, उन्हें पुनः नीलाम करने के आदे ा, नीलाम अन्तिम होने के 7 दिवस की अवधि में अथवा जैसा उचित समझें, दे सकेंगें । इसके लिए कोई कारण बताना आव यक नहीं होगा ।

24- **<u>अन्य कर :–</u>** वर्श 2010–11 में यदि केन्द्रीय या राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा किसी अधिनियम अथवा नियम के अन्तर्गत मादक पदार्थो पर कोई कर लगाया जावेगा तो लायसेंसी इस बावत् लायसेंस फीस में किसी छूट अथवा क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा । इस संबंध में उसकी कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी ।

25. भांग की फुटकर बिक्री की दुकान के लायसेंस के नीलाम के संबंध में अन्य सभी प्रावधान एवं व्यवस्थायें वर्श 2009–10 में प्रचलित व्यवस्था के अनुरूप ही रहेंगी ।

26. भांग की फुटकर बिक्री की दुकान के लायसेंस का नीलाम मध्यप्रदे ा आबकारी अधिनियम 1915 (1915 का क्रमांक 2) जैसा कि अब तक सं ोधित हो चुका है और होगा एवं उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों और प्रतिबन्धों के अन्तर्गत एवं समय–समय पर सं ोधित किए गये निमयों और समय–समय पर राज्य भाासन आबकारी आयुक्त, कलेक्टर, जिला आबकारी अधिकारी द्वारा पारित आदेशों/अनुदे ों के अध्यधीन रहेगा ।

(एस.पी. मिश्रा)
जिला आबकारी अधिकारी
जिला–भिण्ड (म.प्र.)

(रघुराज एम.आर.)
कलेक्टर
जिला–भिण्ड (म.प्र.)

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जिला भिण्ड (म.प्र.)

जिला भिण्ड की भांग दुकान की लायसेंस फीस वर्ष 2009–10 तथा खपत वर्ष 2008–09 सम्पूर्ण 12 माह व वर्ष 2009–10 की प्रथम 9 माह

क्र.	नाम दुकान	लायसेंस फीस वर्ष 2009–10	खपत (किलोग्राम में)	
			वर्ष 2008–09	वर्ष 2009–10 (9 माह)
1	2	3	4	5
1	भांग दुकान, भिण्ड	238000	260	148
	योग	238000	260	148

मद्यभाण्डागार से सबंध भांग दुकान की जानकारी

क्र.	मद्यभाण्डागार	सबंध भांग दुकान का नाम
1	2	3
1	भिण्ड	भांग दुकान, भिण्ड

जिला आबकारी अधिकारी,
जिला भिण्ड (म.प्र.)